

आदेश

उपार्जित दूध की गुणवत्ता में सुधार किये जाने एवं उच्चतम फ़ैट/एस0एन0एफ0 का दूध देने वाले उत्पादकों को अधिकतम दुग्ध मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा दी गई स्वीकृति के क्रम में दिनांक 09.11.17 की प्रातः से दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध क्रय दर पद्धति निम्नवत् निर्धारित की जायेगी :-

1. दुग्ध क्रय दर निर्धारण हेतु 5% फ़ैट से कम आने वाले दूध की कीमत Two Axis पर क्रय किया जायेगा एवं 8.30रु एस0एन0एफ0 से कम का दूध क्रय नहीं किया जायेगा।
2. दुग्ध क्रय दर निर्धारण हेतु 5% फ़ैट या उससे ऊपर आने वाले दूध की कीमत प्रोरेटा के आधार पर निर्धारित की जायेगी एवं 8.50 एस0एन0एफ0 से कम दूध क्रय नहीं किया जायेगा।

कृपया उक्त का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(राजकुमार श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबन्धक

कार्यालय प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0,

29 पार्क रोड लखनऊ

पत्रांक: 2831/डी-1/पीएन्डआई/दुग्ध क्रय दर /17-18

दिनांक: 08.11.2017

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. इकाई प्रभारी समस्त दुग्ध संघ उ0प्र0।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, पी0सी0डी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ।
3. समस्त दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विभाग उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक पी0सी0डी0एफ0 लि0, लखनऊ।
5. अपर दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ।
6. दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश शासन

(राजकुमार श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबन्धक